3/4

Special Power of Attorney

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 18/05/2017

Certificate No. EAR2017E147

GRN No. 27308765

Stamp Duty Paid : ₹ 500
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Tara Devi

H.No/Floor : Xx   Sector/Ward : Xx   LandMark : Kheri kalan

City/Village : Tigaon   District : Faridabad   State : Haryana

Phone: 9871197697   Others : Rajesh and dharmender sharma and devdutt son of kishan dutt and ravi dutt and sunil dutt and ... dutt etc

Buyer / Second Party Detail

Name : Sandeep Aggarwal

H.No/Floor : 191   Sector/Ward : 11d   LandMark : Faridabad

City/Village: Faridabad   District : Faridabad   State : Haryana

Phone : 9811435624   Others : Sandeep aggarwal etc

Purpose : SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The authenticity of this document can be verified by sc... ugh smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

-: मुखत्यारनामा खासः—

(NOT FOR SALE)

हमके, श्रीमती तारा देवी विधवा किशन दत्त पुत्र श्री बेदराम व राजेश, धमेन्द्र उर्फ धमेन्द्र शर्मा, देवदत्त पुत्रान स्व0 श्री किशन दत्त पुत्र श्री बेदराम व बिशनदत्त, रविदत्त उर्फ

प्रलेख न: 3 दिनाँक 19/05/2017

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	SPA
तहसील/सब-तहसील	Tigaon
गांव/शहर	खेडी कलां

धन सबंधी विवरण	
	स्टाम्प डयूटी की राशि 500.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: N.k. kaushik adv

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनाँक 19/05/2017 दिन शुक्रवार समय 1:13:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी Tara Devi etc पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Kishan Dutt निवासी Kheri Kalan द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
Tigaon

श्री Tara Devi etc

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी M/s S3 Infrabuild LLP Thru Saneep Aggarwal प्राधिकत हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी N.k. kaushik adv पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी FBD व श्री/श्रीमती/कुमारी Tarun Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Prabhu Dayal निवासी FBD ने की।

साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 19/05/2017

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
Tigaon

THE SEAL OF THE JOINT SUB REGISTRAR TIGAON

यह प्रमाणित किया जाता हे कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
Tigaon

N. K. Kaushik
Advocate
Distt. Court, Faridabad

रविदत्त शर्मा, सुनीलदत्त उर्फ सुनीलदत्त शर्मा, विष्णुदत्त उर्फ विष्णु प्रकाश पुत्रान श्री बेदराम पुत्र श्री हरीराम समभाग निवासीगण खेडीकलॉ उप–तहसील तिगॉव व जिला फरीदाबाद हरियाणा है (जिन्हे बाद मे भूमि मालिकान कहा गया है)

यह कि हम सभी भूमि मालिकान भूमि अराजी खेवट नं0 248/211 खतौनी नं0 321 मु0नं0 44 कीला 6/2/2(6-10), 7(8-0), 8(7-13), 13(7-13), 14(8-0), 15/1(6-10) किता 6 कुल रकबा 44 कनाल 06 मरले यानि 5.5375 के हम भूमि मालिकान श्रीमती तारा देवी विधवा किशन दत्त पुत्र श्री बेदराम 4/35 भाग व राजेश, धमेन्द्र उर्फ धमेन्द्र शर्मा, देवदत्त पुत्रान स्व0 श्री किशन दत्त पुत्र श्री बेदराम 3/35 समभाग व बिशनदत्त, रविदत्त उर्फ रविदत्त शर्मा, सुनीलदत्त उर्फ सुनीलदत्त शर्मा, विष्णुदत्त उर्फ विष्णु प्रकाश पुत्रान श्री बेदराम पुत्र श्री हरीराम 4/5 समभाग बरूवे तकसीम नं0 6409 मंजूरशुदा दिनांक 7/08/2005 व दस्तबदारी नं0 6455 मंजूरशुदा दिनांक 13/09/2005 द्वारा मालिक व काबिज हैं। और यह भूमि इकटठी है जोकि 44 कनाल 6 मरला यानि 5.5375 है यह कि उपरोक्त मालिकों के सिवाय किसी और व्यक्ति का इस भूमि में कोई हक व वास्ता नही है (जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है)

प्रथम पक्ष

जो कि हमने मैसर्स S3 Infrabuild LLP, 2F/1-3, Ozone Center, Sector-12 Faridabad, Haryana जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड कम्पनी है के साथ कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट दस्तावेज नं0 ....756...., दिनांक 19/05/2017, को उप–तहसील तिगांव, हरियाणा में पंजीकृत किया है। यह कि इस मुख्त्यारनामा खास द्वारा **श्री संदीप अग्रवाल पुत्र श्री दयाचन्द अग्रवाल निवासी ज्ञान दाल मील, बाईपास रोड, होडल तह0 होडल जिला पलवल, हरियाणा** जो कि उक्त कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/नोमिनी है को अपने और अपने वारिसान का विधिवत मुख्त्यार खास निम्न कार्यो के लिए नियुक्त करते है।

द्वितीय पक्ष

हम सभी भूमि मालिकान यह मुखत्यारखास उपरोक्त वर्णित कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट की शर्तो को पूरा करने के लिए पंजीकृत करा रहे है। उक्त कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट हम सभी भूमि मालिकान ने अपनी उक्त भूमि पर हरियाणा सरकार द्वारा घोषित अर्फोडेवल हाउसिंग स्कीम दिनांक 19.08. 2013 के अन्तर्गत फलैटस बनाने का प्रोजेक्ट या इसके अलावा आवश्यकतानुसार उक्त भूमि पर किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत एक रिहायशी भवन/व्यवसायिक कम्पलेक्स/प्लाटेड कालोनी आदि का प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया है (जिसे बाद में **प्रस्तावित प्रोजेक्ट** कहा गया है) और इसके लिए उपरोक्त कंपनी सभी प्राकर के उचित लाईसैन्स परमीशन आदि प्राप्त करेगी और उसके बाद उक्त भूमि को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के रूप में अपने खर्चे पर विकसित करेगी और उक्त मुखत्यारखास मुख्यता निम्नलिखित कार्यो को करने के लिए और उपर लिखित कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 19/05/2017 के तहत यह सभी शर्तो को पूरा करने के लिए और सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कहा गया है।

1. यह कि उक्त मुखत्यारखास किसी भी राज्य/केन्द्रीय सरकार या निजी संस्थान हरियाणा अरबन डवलपमैन्ट अथोरिटी के कार्यालय या नगर पालिका या उक्त भूमि विकास के संबंधित कार्य के लिए प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र या अन्य कोई पत्र हमारी तरफ से पेश कर सकते है।

2. यह कि उक्त भूमि के उपयोग परिवर्तन (सी0एल0यू) के लिए लाईसैन्स के हस्तान्तरण और या उपरोक्त भूमि के उपयोग परिवर्तन यानि कि रिहायशी या व्यवसायिक या अन्य किसी उचित उपयोग के लिए डी0टी0सी0पी0 या हुड्डा किसी अन्य अधिकृत किसी सरकारी अर्ध सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में मेरी तरफ / हमारी तरफ से प्रार्थना पत्र दे सकें या किसी किस्म की फीस या बैंक गारन्अी या रिफण्ड करा सकते है और जो भी उचित कार्य हो हमारी तरफ से स्वयं कर सकते है एवं उपरोक्त कार्यो हेतू स्कूटनी फीस, कन्वर्जन फीस लाईसैन्स, फीस आदि जमा करावे।

3. यह कि हमारी तरफ से कोई भी दस्तावेज देने या प्राप्त करने के लिए या कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था से आदेश या सहमति लेने के लिए जैसे कि एफ ए आर, बिजली,पानी,सीवर या अन्य किसी आधारभुत संरचना या विकास व भूमि विकास या भवन निर्माण व कोई भी कनैक्शन के लिए प्रार्थना पत्र शपथ पत्र दे सकते है या जरूरत पडने पर हमारी तरफ से संबंधित कार्यालय में पेश हो सकते है।

4. यह कि हमारी तरफ से निर्माण का कम्पलीशन सर्टीफिकेशन प्राप्त करने के लिए या निर्माण को बढाने या घटाने के लिए किसी प्रकार के भूमि विकास के लिए आदि आदि

किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र भूमि विकास के नक्शे शपथ पत्र या पत्र व्यवहार कर सकते है।

5. यह कि हमारी तरफ से भूमि विकास अथवा किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के लिए आवश्यक फीस ग्राउण्ड, रेन्ट पैनल्टी कम्पाउडिंग चार्जेस जो उचित समझते हो जमा कर सकते है तथा रसीद कर सकते है ।

6. यह कि उक्त कंपनी के उक्त मुखत्यारखास के जरिये कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 19/05/2017 की शर्तो के अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विकास से संबंधित सभी कार्य करने का हक होगा जैसे भवन निर्माण व अन्य विकास कार्य सडक, सीवर, पानी व बिजली की व्यवस्था करना शामिलक है और इन सभी कार्यो के लिए संबंधित विभागों से परमीशन आदि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. यह कि उक्त कंपनी को इस मुखत्यारखास के जरिये हमारे विहाफ पर उपरोक्त वर्णित कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट रजिस्र्टड दस्तावेज नं0 ....756......., दिनांक 19/05/2017, कार्यालय सब रजिस्ट्रार तिगांव, की शर्तो के अनुसार लाईसैन्स, परमीशन आदि प्राप्त होने के बाद और लाईसैन्स, परमीशन आदि की सभी शर्तो को ध्यान में रखते हुए तथा संबंधित विभागो के नियम व कानूनों का पालन करते हुए प्रस्तावित प्राजेक्ट का सम्पूर्ण विकास करने के बाद उसमें विकसत एरिये की बावत प्रसवित खरीददारों के साथ बुकिंग/इकरारनामा करने का हक होगा और इससे संबंधित सभी कागजों पर हस्ताक्ष्झर करने का हक होगा जो कि कंपनी की तरफ से कंपनी के कागजों पर

तारा देवी

राजेन्द्र

Vishnu Dutt Sharma

निष्पादित होगा और ऐसा उक्त कंपनी लाईसैन्स व परमीशन की नियमों व शर्तो के अनुसार ही करने के लिए बाध्य होगी और प्रस्तावित खरीदारों से बुकिंग राशि प्राप्त करने व उनके साथ इकरारनामा हस्ताक्षर करने, उनको रसीद जारी करने या इससे संबंधित सभी कागजातों को हस्ताक्षर करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. यह कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के लिए कोई दावा रिट पटीशन क्लेम रिवीजन अपील शिकायत रिव्यू किसी किस्म की दरखास्त नोटिस लेने या देने दण्ड प्रकिया या सिविल प्रकिया या रेवन्यू कोर्ट के समक्ष या अन्य किसी भी कोर्ट ट्रिब्यूनल फोरम या अन्य किसी भूमि विकास संबंधित कार्य के लिए एडवोकेट या अर्टोनी आदि नियुक्त कर सकते है और किसी भी प्रकार का ब्यान शपथ पत्र प्रार्थना पत्र दायर कर सकते है या कोई समझौता किसी भी पार्टी के साथ उक्त भूमि की बावत कर सकते है।

9. यह कि यह मुखत्यारनामा खास को यह भी हक होगा कि वह इस मुखत्यारनामा खास में दी गई शक्तियों का प्रयोग खुद करे या अपने द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को अधिकृत करे। यह कि अगर उक्त कंपनी किसी अन्य कंपनी को या अन्य किसी व्यक्ति को मुखत्यारनामा खास करती है तो उक्त कंपनी असल भूमि मालिकान से इस मुखत्यारनामा खास को कैंसल कराकर दूसरे पक्ष को उसके नाम से करवा सकता है।

10. यह कि मुखत्यारनामा खास केवल जमीन की परमीशन आदि के लिए ही दिया गया है तथा उक्त कंपनी को उक्त जमीन विक्रय करने आदि का कोई हक हासिल ना है तथा

इस मुखत्यारनामा खास में दी गई शर्तो का किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन होता है तो इस मुखत्यारनामा खास को कैंसल माना जाएगा।

अतः यह मु0 नामाखास हमने खुब सुन सोच समझकर अपनी तमाम की तामाम इन्द्रियो की स्वस्थ एवं चेतन अवस्था से बिना किसी जोर जबर व बहकाव फुसलाव आदि के लिख दिया है ताकि सनद हो वक्त जरूरत काम आवे तिथि :–

(श्री संदीप अग्रवाल)
For and on behalf of
S3 Infrabuild LLP

तिथि :– 19–05/2017
स्थान : फरीदाबाद
(भूमि मालिकान)

(i) तारा देवी

(ii) राजेश

(iii) धमेन्द्र उर्फ धमेन्द्र शर्मा

(iv) देवदत्त

(v) बिशन दत्त उर्फ बिशन दत्त शर्मा

(vi) रविदत्त उर्फ रवि दत्त शर्मा

(vii) सुनिलदत्त उर्फ सुनीलदत्त शर्मा

(viii) विष्णूदत्त उर्फ विष्णू प्रकाश

1. गवाहा

N. K. Kaushik
Advocate
Distt. Court, Faridabad

2. गवाहा

N. K. Kaushik
Advocate
Distt. Court, Faridabad

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
3	2017-2018	4

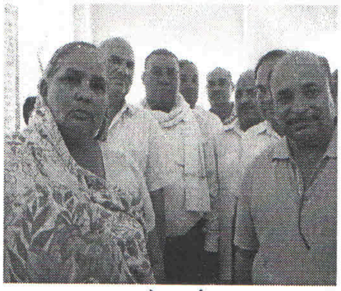
पेशकर्ता

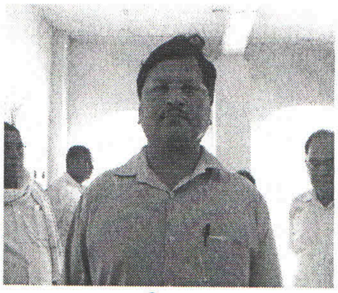
प्राधिकत

गवाह

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	Tara Devi etc
प्राधिकत	M/s S3 Infrabuild LLP Thr
गवाह	N.k. kaushik adv
गवाह	Tarun Sharma

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 3 आज दिनाँक 19/05/2017 को बही न: 4 जिल्द न: 0 के पृष्ठ न: 1 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 4 जिल्द न: 0 के पृष्ठ सख्या 10 से 12 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 19/05/2017

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
Tigaon

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
3	2017-2018	4

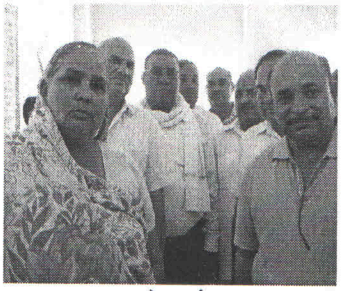
पेशकर्ता

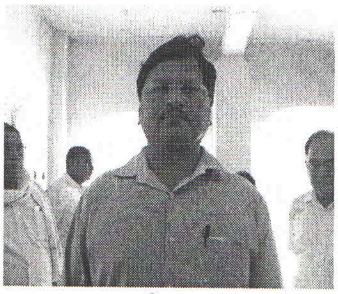
प्राधिकत

गवाह

उप / सयुँक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	Tara Devi etc
प्राधिकत	M/s S3 Infrabuild LLP Thr
गवाह	N.k. kaushik adv
गवाह	Tarun Sharma

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 3 आज दिनॉक 19/05/2017 को बही नः 4 जिल्द नः 0 के पृष्ठ नः 1 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 4 जिल्द नः 0 के पृष्ठ सख्या 10 से 12 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनॉक 19/05/2017

उप / सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
Tigaon